

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एसीपी/सी-3/2017/147

दिनांक:- 6-2-2018

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 9 व 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बेन्ड	देय पे ग्रेड
1	अनिता मीणा	अलवर	10.04.08	10.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
2	आशा रैया	अलवर	24.04.99	24.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
3	रेखा शर्मा	भीलवाडा	01.04.08	01.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
4	बबीता	सीकर	04.04.08	04.04.17 9वर्ष	9300-34800	4800
5	विमला रानी योगी	जयपुर-प्रथम	28.04.99	28.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
6	रमापाल सिंह	जयपुर	23.04.08	23.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
7	मोहिनी विश्नोई	जोधपुर	17.11.98	17.11.07 9 वर्ष	9300-34800	3600

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एसीपी/सी-3/2017/147

दिनांक:- 6-2-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक, हरिवक्श कांठटिया चिकित्सालय, जयपुर/ उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/ भीलवाडा/ जयपुर-प्रथम।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) जयपुर-प्रथम।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, गढी सवाईराम,तिजारा(अलवर)/ गुलाबपुरा(भीलवाडा)।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर